	नहर निर्माण			
16	जनपद पौड़ी के बीरोखाल एवं थलीसैण विकासखण्ड के अन्तर्गत 16 नहरों के पुनरोद्धार की योजना।	09.11.2017	406.86	20.00
17	जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला में अपर साहब नगर, लोअर साहब नगर, साहबनगर डांडी एवं चकजोगीवाला नहर के पुनरोद्धार सुदृढ़ीकरण की योजना।	09.11.2017	102.93	1.00
18	जनपद पौड़ी के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत 05 नहरों के पुनरोद्धार की योजना।	09.11.2017	106.09	10.00
19	जनपद पौडी के विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत 05 नहरों के पुनरोद्वार की योजना	09.11.2017	91.11	9.00
20	जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोइवाला में खैरीखुर्द खेरीकला खेरी फीडर एवं ठाकुरपुर नहर की पुनरोद्वार सुद्रढीकरण की योजना।	09.11.2017	132.42	1.00
21	जनपद देहरादून के डोईवाला विकास खण्ड में बड़ोवाला नहर के पुनरोद्धार की योजना	09.11.2017	494.58	1.00
22	जनपद देहरादून के डोईवाला विकास खण्ड में दूधली किशनपुर ग्रान्ट नहर के पुनरोद्धार की योजना	09.11.2017	468.19	1.00
23	जनपद देहरादून के डोईवाला विकास खण्ड में जौली नहर के हैड विस्तारीकरण एवं पुनरोद्धार की योजना	09.11.2017	269.63	1.00
24	जनपद देहरादून में जाखन नदी पर सूर्यधार में बैराज निमार्ण की योजना।	09.11.2017	5024.00	10.00
	योग नहर निर्माण		**7095.81**	**54.00**
	बाढ़ सुरक्षा कार्य			
25	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत लक्सर वि0ख0 में रामपुर, रायघटी गांव की बाढ़ सुरक्षा हेतु गंगा नदी में वायरकेट, स्पर के निर्माण कार्य का प्राक्कलन, चैनेज 7.400 कि0मी0	09.11.2017	115.69	2.00
26	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत लक्सर वि0ख0 में रामपुर, रायघटी गांव की बाढ़ सुरक्षा हेतु गंगा नदी में वायरकेट, स्पर के निर्माण कार्य का प्राक्कलन, चैनेज 8.550 कि0मी0	09.11.2017	115.69	2.00
27	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत खानपुर वि0ख0में गंगा नदी के किनारे बालावाली एवं खानपुर की बाढ़ सुरक्षा योजना	09.11.2017	100.00	2.00
28	जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील सिंतारगंज में ग्राम 12 फमिली, देवनगर, साद्यन्यासी बस्ती, तिलियापुर को कटना नदी की बाढ से बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना	09.11.2017	497.49	5.00
29	जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला विकासक्षेत्र में जाखन नदी से लोअर साहब नगर के षीर्श भाग पर सुरक्षात्मक कार्य की योजना।	09.11.2017	124.77	2.00
30	जनपद देहरादून के डोईवाला विकास खण्ड के ग्राम चकतुनवाला में बांगाखाला पर बाढ़ सुरक्षा योजना	09.11.2017	319.50	3.00
	योग बाढ सुरक्षा कार्य		**1273.14**	**16.00**
	कुल योग		**12273.75**	**100.00**

(रू0 एक करोड़ मात्र)

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 2687 / II–2017–04(01) / 2017टीसी

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 22दिसम्बर, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में नाबार्ड RIDF XXIII के अन्तर्गत स्वीकृत लिफ्ट निर्माण, नहर निमार्ण एंव बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर मोबलाईजेशन की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4109 / प्र0अ0 / बजट / बी–1, (सामान्य) दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड के पत्र संख्या NBSPD/ 2312/ RIDF-XXIII(Uttarakhand)/167thPSC-03.11.2017/2017 दिनांक 09 नवम्बर, 2017 द्वारा नाबार्ड RIDF XXIII के अन्तर्गत स्वीकृत लिफ्ट निर्माण, नहर निमार्ण एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर संलग्न विवरणानुसार योजनाओं की कुल लागत रू0 12273.75 लाख (एक अरब बाईस करोड़ तिहत्तर लाख पिचहत्तर हजार मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा नाबार्ड से RIDF-XXIII के अन्तर्गत योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि के विस्तार सम्बन्धी स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ नाबार्ड की स्वीकृति भी प्राप्त करेंगे।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलबध कराई जाय।

(iii) उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय। साथ ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं अन्य वित्तीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाय।

(iv) निर्माण कार्यो में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(v) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक / ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा।

(ix) कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(x) विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(xi) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–10 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xvi) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(xvii) उल्लिखित कार्यों/योजनाओं के आगणनों में स्वीकृत डिजाईन/मानक एवं दरों तथा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत संलग्नक–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 605/XXVII/(2)/2017 दिनांक–22 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

सलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/ II–2016–04(01)/2017टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3– निजी सचिव–मा0 सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग।
9– वित्त अनुभाग–1 एवं वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
12– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव